(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खंड- 4 में **प्रकाशित)**

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 135 **नई दिल्ली**, 28 अप्रैल, 2010

<u>अधिसूचना</u>

महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 48,49 और 50 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतत्द्वारा, चेन्नै पत्तन न्यास के वर्तमान दरमान की वैधता को, संलग्न आदेशानुसार विस्तार प्रदान करता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष

<u>महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण</u>

<u>प्रकरण सं. टीएएमपी/36/2005-सीएचपीटी</u>

<u>आ दे श</u>
(मार्च 2010 के 31 वें दिन पारित)

यह प्रकरण, चेन्नै पत्तन न्यास (सीएचपीटी) के वर्तमान दरमान की वैधता के विस्तार से संबंधित है ।

2. सीएचपीटी के वर्तमान दरमान को इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार आदेश सं. टीएएमपी / 36 / 2005-सीएचपीटी दिनांक 7 मार्च 2006 के माध्यम से अनुमोदित किया गया था। आदेश ने दरमान की वैधता 31 मार्च 2008 तक प्रदान की थी। उसके बाद दरमान की वैधता, इस प्राधिकरण द्वारा दिनांक 23 अक्तूबर 2009 द्वारा 31 मार्च 2010 तक विस्तारित की गई थी।

3. सीएचपीटी ने अपने दरमान के संशोधन क`लिए प्रस्ताव दाखिल किया है। प्रस्ताव से उभरने वाले विभिन्न बिन्दुओं पर मांगी गई अतिरिक्त सूचना / स्पष्टीकरण पत्तन द्वारा प्रस्तुत किए गए है जो जांच-पड़ताल के अधीन हैं। परामर्शी प्रक्रिया के एक भाग के रू प में संयुक्त सुनवाई का आयोजन किया जाना है। इसलिए, इस प्राधिकरण द्वारा अंतिम विचार-विमर्श के लिए इस प्रकरण को परिपक्व होने में कुछ और समय लगेगा। इस बीच में, सीएचपीटी ने दिनांक 25 मार्च 2010 के अपने पत्र के माध्यम से इस प्राधिकरण से, वर्तमान दरमान की वैधता को 1 अप्रैल 2010 से 6 माह की और अवधि के लिए विस्तार प्रदान करने का अनुरोध किया है।

4. चूंकि वर्तमान दरमान की वैधता 31 मार्च 2010 को समाप्त हो रही है और प्रकरण को अंतिम रू प देने केलिए अपेक्षित समय को स्वीकार करते हुए यह प्राधिकरण सीएचपीटी के वर्तमान दरमान की वैधता को 30 सितंबर 2010 तक या संशोधित दरमान के क्रियान्वयन की प्रभावी तिथि इनमें से जो भी पहले हो, तक विस्तार प्रदान करता है।

5. 1 अप्रैल 2008 के बाद वाली अवधि में ग्राह्य लागत और अनुमेय प्रतिलाभ से अधिक यदि कोई अतिरिक्त अधिशेष उभरता है तो वह निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूरी तरह समायोजित किया जाएगा।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष